सोलहवें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें

संदर्भ: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोलहवें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी।

- संदर्भ की शर्तें उचित समय पर अधिसूचित की जाएंगी, और सरकार की स्वीकृति पर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि तक लागू रहेंगी।
- संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार, वित्त आयोग की स्थापना संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण, राज्यों के बीच वित्त के आवंटन, सहायता अनुदान और नियत अवधि के दौरान पंचायतों के संसाधनों की पूरकता के लिए पूरक उपायों पर सिफारिशें करने के लिए की गई है।
- 27 नवंबर, 2017 को गठित पंद्रहवें वित्त आयोग ने 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली छह साल की अवधि के लिए सिफारिशें प्रदान कीं और इसके सुझाव वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य हैं।
- **सोलहवें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों में शामिल हैं:**
  - ✓ संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण।
  - ✓ राज्यों के बीच हिस्सेदारी का आवंटन या विभाजन।
  - ✓ राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत।
  - ✓ पंचायतों और नगर पालिकाओं को समर्थन देने के लिए राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के उपाय।
  - ✓ आपदा प्रबंधन पहलों के लिए वित्तपोषण व्यवस्था की समीक्षा।
  - ✓ सोलहवें वित्त आयोग को 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर पांच साल की अवधि को कवर करते हुए, 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - ✓ पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन शुरू में पांच साल की अवधि के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसमें छह साल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संशोधन किया गया।
  - ✓ पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से ठीक पहले की अवधि के लिए वित्त का आकलन करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है।
  - ✓ इस आयोग के औपचारिक गठन से पहले प्रारंभिक कार्यों की देखरेख के लिए 21 नवंबर, 2022 को वित्त मंत्रालय में 16वें वित्त आयोग के एडवांस सेल का गठन किया गया था।
  - ✓ एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के इनपुट के साथ, संदर्भ की शर्तों को तैयार करने में सहायता के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य समूह की स्थापना की गई थी।

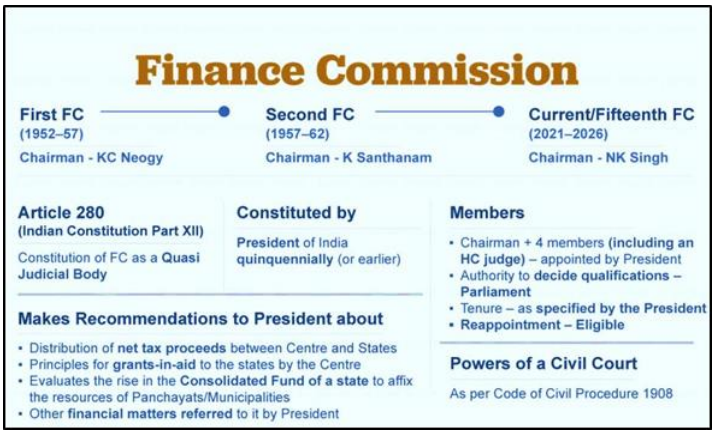

- **वित्त आयोग:**
  - ✓ वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत; भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
  - ✓ प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 के तहत की गई थी।
  - ✓ प्रत्येक वित्त आयोग विशिष्ट संदर्भ शर्तों के तहत कार्य करता है, जो आयोग की योग्यता, नियुक्ति मानदंड, अवधि, पात्रता और शक्तियों को परिभाषित करता है।
  - ✓ संविधान के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
  - ✓ **वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:**
    - केंद्रीय करों को राज्यों के साथ साझा करना।
    - राज्यों को केंद्रीय अनुदान का वितरण।
    - राज्यों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के उपाय, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों का समर्थन करना।
    - इससे संबंधित कोई अन्य मामला।
  - ✓ वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - ✓ इस आयोग को केंद्रीय वित्त, अनुदान के बंटवारे और राज्य वित्त को मजबूत करने के उपायों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने का अधिकार है।
  - ✓ केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की नियमित और व्यवस्थित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे प्रत्येक पांच वर्ष में गठित किया जाता है।
  - ✓ अपनी स्थापना के बाद से, वित्त आयोग ने उभरते वित्तीय परिदृश्य को संबोधित करने के लिए समय-समय पर नवीनीकरण और समायोजन किया है।
  - ✓ वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करके राजकोषीय संघवाद में योगदान देता है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट

संदर्भ: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 31 मार्च, 2026 तक विस्तार को मंजूरी दे दी।

- **योजना की अवधि और फंडिंग:**
  - ✓ केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) की अवधि को 02.10.2019 से 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है।
  - ✓ योजना के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी निर्भया फंड से वित्त पोषित है।
- **सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता:**
  - ✓ इसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम जैसी पहल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।
  - ✓ राष्ट्र को प्रभावित करने वाली घटनाओं से, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के कारण यह तात्कालिक अनिवार्यता उत्पन्न होती है।
- **विधायी प्रतिक्रिया:**
  - ✓ अपराधों की गंभीरता को संबोधित करने के लिए "आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018" का अधिनियमन किया गया।
  - ✓ बलात्कार के अपराधियों के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया।
- **एफटीएससी का निर्माण:**
  - ✓ मुकदमों में तेजी लाने और पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना की गई।
  - ✓ केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत इसकी रूपरेखा तय की गई ।
- **योजना कार्यान्वयन और विस्तार:**
  - ✓ इसे न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  - ✓ प्रारंभ में इसे अगस्त 2019 में एक वर्ष के लिए लॉन्च किया गया, फिर 31.03.2023 तक बढ़ाया गया, और वर्तमान में इसका विस्तार 31.03.2026 तक कर दिया गया है।
- **वित्तीय परिव्यय:** विस्तारित अवधि के लिए 1952.23 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है।
- **योजना संचालन और प्रभाव:**
  - ✓ इस योजना का 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालन किया जा रहा है।
  - ✓ इसमें 761 एफटीएससी शामिल हैं, जिनमें 414 विशिष्ट पॉक्सो अदालतें भी शामिल हैं।
  - ✓ समय पर न्याय के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब तक 1,95,000 से अधिक मामलों का समाधान किया गया।
- **अपेक्षित परिणाम:**
  - ✓ यह यौन और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  - ✓ यह लंबित मामलों को काफी हद तक कम करता है, न्यायिक प्रणाली के दवाब से राहत देता है।
  - ✓ बेहतर सुविधाओं और त्वरित सुनवाई के माध्यम से पीड़ितों के लिए न्याय तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करता है।
  - ✓ इसका लक्ष्य सम्बंधित मामलों के समग्र बोझ को प्रबंधनीय संख्या तक कम करना है।

रैट-होल खनन

संदर्भ: बड़े धातु के टुकड़ों के कारण मशीन की ड्रिलिंग में बाधा उत्पन्न होने के बाद, फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए रैट होल खनन की विधि का उपयोग किया गया था।

- **"रैट होल" की परिभाषा**: "रैट होल" शब्द जमीन में संकीर्ण गड्ढे खोदने के तरीकों से संबंधित है, जिसमें केवल एक व्यक्ति को उतरने और कोयला निकालने की अनुमति होती है।
- **रैट होल खनन के प्रकार:**
  - ✓ रैट होल खनन में छोटी सुरंगों का निर्माण किया जाता है, यह आमतौर पर 3-4 फीट की गहराई तक होती है ।
  - ✓ इसमें दो प्राथमिक विधियाँ शामिल होती हैं: साइड-कटिंग और बॉक्स-कटिंग।
- **पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर मेघालय में व्यापकता:**
  - ✓ रैट होल खनन पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से प्रचलित है, जिसका विशेष केंद्रीकरण मेघालय में दिखता है।
  - ✓ चुनौतीपूर्ण भू-भाग और कोयला परतों की विशिष्ट विशेषताएं इस खनन प्रथा की व्यापकता में योगदान करती हैं।
- **पूर्वोत्तर में गैर-व्यावसायिक खनन के कारण:**
  - ✓ ओपन-कास्ट खनन जैसे तरीकों के लिए इस इलाके की अनुपयुक्तता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वाणिज्यिक (व्यावसायिक) खनन व्यापक रूप से नहीं किया जाता है।
  - ✓ इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले में पर्याप्त मात्रा में सल्फर होता है, जो इसे निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की श्रेणी में रखता है।
  - ✓ छठी अनुसूची के लागू होने से एक आदिवासी राज्य होने के कारण , यहाँ की सभी भूमि निजी स्वामित्व में है, जिसके कारण निजी कम्पनियां निवेश के लिए सीमित क्षमता के साथ खनन गतिविधियों का संचालन कर रही हैं।
  - ✓ स्थानीय लोग इन खदानों को बिना पर्याप्त निवेश के रोजगार प्रदान करने वाले मूल्यवान संसाधनों के रूप में देखते हैं।

- **रैट होल खनन के दोष:**
  - ✓ **पारिस्थितिक प्रभाव:**
    - सड़कों के किनारे कोयले के बढ़ते ढेर के कारण गंभीर वायु और जल प्रदूषण बहता जा रहा है।
    - खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास ऑफ-रोड गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी को काफी नुकसान पहुंचा है।
    - एनजीटी की एक याचिका में कोपिली नदी पर पड़ने वाले प्रभाव (इसका अम्लीय होना) पर प्रकाश डाला गया।
  - ✓ **जीवन के लिए जोखिम:**
    - बरसात के मौसम में खदानों में बाढ़ आने की आशंका रहती है।
    - अवैज्ञानिक खुदाई के कारण अचानक ढहने से जानमाल की हानि होती है।

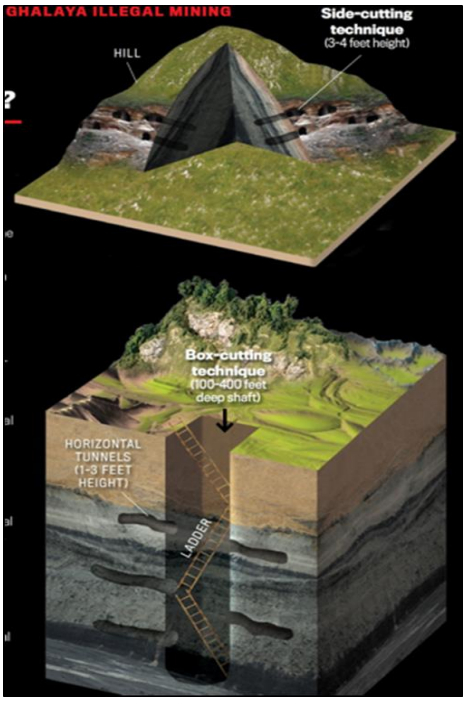

- **वर्तमान स्थिति:**
  - ✓ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने वर्ष 2014 में रैट-होल खनन पर प्रतिबंध लगाया, यह प्रतिबंध वर्ष 2015 में भी बरकरार रखा गया था।
  - ✓ मेघालय उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीपी काताकी समिति का गठन किया।
  - ✓ अन्य प्रतिबंधों के बावजूद, अभी भी अवैध खनन जारी है और समिति की टिप्पणियों के अनुसार बड़ी मात्रा में कोयला बिना किसी बाधा के बाज़ारों तक पहुँच रहा है।

विधेयक पर राज्यपाल की सहमति

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने केरल को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी है, जिसमें अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर शक्तियों के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने के अनुरोध को शामिल करने की अनुमति दी गई है।

- **सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश**
  - ✓ जब राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोकना चाहते हैं, तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 200 में उल्लिखित विशिष्ट कार्रवाई का पालन करना अनिवार्य होगा।
  - ✓ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकना चाहता है, तो राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस करने के लिए बाध्य है।
  - ✓ विधेयक का पुनर्मूल्यांकन करने की विधायिका की आवश्यकता बताए बिना; सहमति रोकना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन माना जाता है।
  - ✓ निर्वाचित विधानमंडल के पास विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है, और राज्यपाल का सुझाव उन्हें सहमत होने के लिए बाध्य नहीं करता है।
  - ✓ एक बार जब विधानमंडल लौटाए गए विधेयक को फिर से पारित कर देता है, चाहे संशोधन के साथ या बिना; तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है।
  - ✓ किसी विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निर्वाचित विधानमंडल के पास है, और राज्यपाल का सुझाव विधायी निकाय को बाध्य नहीं करता है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - ✓ **अनुच्छेद 200:**
    - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की रूपरेखा बताता है।
    - राज्यपाल के पास विधेयक पर सहमति देने, अनुमति रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का अधिकार है।
    - राज्यपाल पुनर्विचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ विधेयक को विधान सभा को वापस भी कर सकते हैं।
  - ✓ **अनुच्छेद 201:**
    - जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है।
    - राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकता है।
  - ✓ **राज्यपाल के विकल्प:**
    - राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति में सहमति देना, विधेयक को विधान सभा द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना शामिल है।
    - यदि कोई विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है या संवैधानिक प्रावधानों, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) या राष्ट्रीय हित के खिलाफ जाता है अथवा अनुच्छेद 31 ए के तहत संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है तो इस पर राज्यपाल का आरक्षण अनिवार्य है।
    - राज्यपाल सहमति रोक सकते हैं, हालांकि संभावित अलोकप्रियता के कारण यह असामान्य स्थिति है।
    - विशेषज्ञ केवल मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर सहमति को रोकने की राज्यपाल की क्षमता पर सवाल उठाते हैं।

- **विवेकाधीन शक्तियों पर बहस:**
  - ✓ अनुच्छेद 200 राज्यपाल को अनुमति रोकने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इस बात पर बहस है कि क्या यह केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है?
  - ✓ संविधान निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल अनुच्छेद 154 के तहत केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

धन शोधन निवारण अधिनियम

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक साजिश के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम के बारे में:

- भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 2002 का मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) बनाया गया था।
- **इस अधिनियम के तीन प्रमुख लक्ष्य हैं:** मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और प्रबंधित करना,मनी लॉन्ड्रिंग किए गए धन से प्राप्त संपत्तियों को जब्त करना और भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित किसी भी संबंधित मामले को संबोधित करना।
- इसे वित्तीय लेनदेन के माध्यम से अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को कम करने के लिए बनाया गया है।
- इसका उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में धन के प्रवाह को रोकना है।
- यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राजस्व विभाग के तहत काम करने वाली संस्था है।
- स्थानीय पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क विभाग और सेबी जैसी विभिन्न एजेंसियां संबंधित कानूनों में उल्लिखित विशिष्ट अपराधों की जांच करती हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 15,000 दूरदर्शी महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन से लैस करने की योजना की घोषणा की है।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बारे में:

- स्व-सहायता समूह (एसएचजी) समुदाय-आधारित संगठन हैं जो सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए संसाधनों, ज्ञान और कौशल को एकत्रित करते हैं।
- वे आमतौर पर एक इलाके में 10-20 लोगों के समूह द्वारा बनाए जाते हैं।
- स्व-सहायता समूह कम लेनदेन लागत, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, अनौपचारिक उधार पर कम निर्भरता, कॉर्पोरेट समर्थन, संपार्श्विक (collateral) की कोई आवश्यकता नहीं और सदस्यों के बीच सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देने जैसे लाभ लाते हैं।
- सबसे पहले, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और चयनित गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने कृषि को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एसएचजी-बैंक कार्यक्रम की तरह एक सहायता प्रणाली बनाई।
- एसएचजी के आयोजन के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा 1984 में प्रोफेसर यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल के आधार पर पेश की गई थी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1990 में SHG को वैकल्पिक ऋण प्रवाह मॉडल के रूप में मान्यता दी।

असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य

हाल ही में दिल्ली सरकार का वन विभाग दिसंबर में असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर एक **"साइक्लोथॉन और वॉकथॉन"** का आयोजन करने जा रहा है।

असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

- असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली-हरियाणा सीमा पर अरावली पहाड़ी श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर स्थित है।
- इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह 32.71 वर्ग किमी में फैला है।
- यह राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व को दिल्ली रिज से जोड़ने वाले सरिस्का-दिल्ली वन्यजीव गलियारे का भी हिस्सा है।

वनस्पति: अभयारण्य में प्राथमिक विदेशी प्रजाति के रूप में प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और प्रचलित देशी प्रजाति के रूप में डायोस्पायरोस मोंटाना का प्रभुत्व है।

जीव-जंतु: यह गोल्डन जैकल्स, स्ट्राइप्ड-हाइना, इंडियन क्रेस्टेड-साही, सिवेट, जंगली बिल्लियाँ, सांप, मॉनिटर छिपकली और नेवले सहित विविध वन्यजीवों का घर है।

अरावली पहाड़ियाँ:

- यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो दिल्ली से दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से होते हुए दक्षिण-पश्चिम दिशा में गुजरात तक फैली हुई है।
- समुद्र तल से 1,722 मीटर (5,650 फीट) की ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर, अपने आसपास की सबसे ऊंची चोटी का है।

अरावली पहाड़ियाँ तीन महत्वपूर्ण नदियों - बनास, साहिबी और लूनी - के उद्गम स्थल के रूप में काम करती हैं, जहाँ से लूनी अंततः कच्छ के रण में मिल जाती है।

लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना

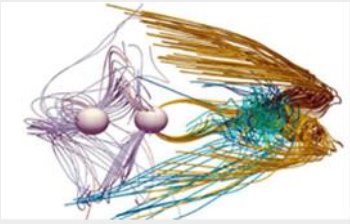

लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना (LISA) के बारे में:

- लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना (LISA) एक प्रस्तावित अंतरिक्ष वेधशाला है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाएगी और मापेगी।
- यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला होगी।
- LISA में तीन अंतरिक्ष यान शामिल हैं जो अंतरिक्ष में एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें पृथ्वी से दुर्गम स्पेक्ट्रम के हिस्सों का दोहन करने के लिए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दस लाख मील लंबी होगी।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्ष-समय में छोटी तरंगें हैं। वे मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के साथ ब्रह्मांडीय वस्तुओं के त्वरण से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ब्लैक होल का विलय।
- LISA की कल्पना मूल रूप से NASA और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के बीच एक संयुक्त मिशन के रूप में की गई थी। दोनों साझेदारों मिशन लागत का आधा भुगतान किया , जो लगभग $2 बिलियन थी।
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने LISA को चरण बी1 तक उन्नत कर दिया है, जहां विस्तृत मिशन डिजाइन और अंतिम प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पूरा किया जाएगा। इसका अगला प्रमुख चरण मिशन एडॉप्शन है, जिसे वर्तमान में 2024 के लिए योजनाबद्ध किया गया है।

समाचार में स्थान वियतनाम

वियतनाम (राजधानी: हनोई)

अवस्थिति : वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोचीन प्रायद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है।

सीमाएँ: उत्तर में वियतनाम की सीमा चीन से, पश्चिम में लाओस और कंबोडिया से तथा पूर्व में टोंकिन की खाड़ी के साथ दक्षिण चीन सागर से लगती है।

भौतिक विशेषताऐं:

- रेड रिवर डेल्टा, हनोई में अवस्थिति एक उपजाऊ मैदान है जो अपनी कृषि समृद्धि के लिए जाना जाता है।
- मेकांग नदी, एक विस्तृत जलमार्ग जो वियतनाम पहुंचने पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है।
- एनामिस कॉर्डिलेरा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व तक बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिससे एक बड़ी पर्वत श्रृंखला बनती है।

POINTS TO PONDER

1. भारत के किस राज्य में कोयले की परतों के पतले होने के कारण मुख्य रूप से रैट होल खनन किया जाता है? – **मेघालय**

2. किस देश ने **UNGA** में 'द सीरियन गोलान' मसौदा प्रस्ताव पेश किया? – **मिस्र**

3. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, जुलाई-सितंबर **2023** के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या थी? **- 6.6%**

4. फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? – **ईरान**

5.यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कब स्वीकार किया, और इसे राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव के दौरान प्रमुखता से कहाँ प्रदर्शित किया गया? **- 2010, जोधपुर**